उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:89/2021/1393902/12-3099/66/2021
लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत निर्गत केन्द्रांश रू. 1862.32 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि 1241.55 लाख (बारह करोड़ इकतालिस लाख पचपन हजार रूपये मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

लेखाशीर्ष/अनुदान संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में NMAET योजना में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति (राज्यांश)
अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (एन.एम.ए.ई.टी) (के.60/रा.40-के+रा.) 27-सब्सिडी	20110.61	1171.78
अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (एन.एम.ए.ई.टी) (के.60/रा.40-के+रा.)- 42-अन्य व्यय	10026.32	69.77
योग	30136.93	1241.55

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप एन0एम0ए0ई0टी0 योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा,
2. स्वीकृत धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा,
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा,
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जाएगा,
5. स्वीकृत धनराशि जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,
6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, जिन मामलों में व्यय करने के पूर्व प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए,
7. कृषि निदेशक द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए,
8. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए,
9. कोषागार से एक मुश्त आहरित धनराशि का आहरण न किया जाए, क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,

http://shasanadesh.up.gov.in

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए,

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, अनुदान संख्या- 011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी' (एन.एम.ए.ई.टी.) (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी-42-अन्य व्यय के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:89/2021/ 1393902/12-3099/66/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/1071/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in